न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—231/2017/225 (2017/00231)

1. मगनाराम पुत्र मिश्री, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा, डाबला, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. बदामी देवी पत्नि हरचंद, जाति जाट, निवासी ग्राम रामपुरा डाबला, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
2. हगामी पत्नि हनुमान (हनुमान पुत्र मिश्री),
3. चैनाराम पुत्र हनुमान,
4. मधु पुत्री हनुमान,
5. मतिया पुत्री हनुमान,
6. उर्मिला पुत्री हनुमान,
7. सरोज पुत्री हनुमान,
8. पूजा पुत्री हनुमान,
9. दिलीप पुत्र नैनाराम,
10. सांवरलाल पुत्र नैनाराम,
    समस्त जाति जाट, नि0 ग्राम रामपुरा डाबला, तह0 पीसांगन, जिला अजमेर ।
11. श्रीमती देबी पुत्री मिश्री पत्नि रामनिवास, जाति जाट, निवासी जोजासणी, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर ।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पीसांगन, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन दिनांक 19.5.2017 अंतर्गत प्रकरण संख्या 24/2014.

उपस्थितः—

1. श्री लक्ष्मणनाथ योगी, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 10 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 12.

निर्णय

दिनांकः— 29.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के निर्णय दिनांक 19.5.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के

तहत विरूद्ध अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 12 के पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरा डाबला, तह0 पीसांगन के खाता संख्या साबिक 160 नया 122 के खसरा नंबर 423 की आराजी स्थित है । ग्राम पीसांगन से भांवता की ओर से आने वाले मुख्य सड़क मार्ग से लगते हुए खेत खसरा नंबर 422 अवस्थित है जिसके दक्षिण पूर्वी मेड़ से लगते हुए एक कच्चा कदीमी रास्ता काफी समय से बना हुआ है जिस पर से प्रार्थीया अपने खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 423 पर काश्त करने हेतु आती जाती रहती है जिस पर अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन वर्तमान में अप्रार्थीगण ने रास्ते में कांटों की बाड लगाकर रास्ता बंद कर दिया है । इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से एवं अपनी कृषि आराजी पर आने जाने हेतु खसरा नंबर 422 की दक्षिण पूर्वी मेड़ से लगते हुए पूर्व की ओर 15 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थिया को प्रदान किया जाना न्यायोचित है । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 19.5.2017 द्वारा प्रार्थीया/रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थिया की आराजी खसरा संख्या 423 में आवागमन के लिये खसरा नंबर 422 रकबा 0.71 है0 में से 0.005 वर्गमीटर तथा खसरा नंबर 421 रका 0.50 है0 में में से 0.05 वर्गमीटर रास्ता डी0एल0सी0 दर से 1687.50 रू0 राशि जमा कराने पर कायम किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मौके पर आकर रास्ता कायम करवाने का प्रयास किया गया तब प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.8.2017 को पीसांगन न्यायालय में जाकर जानकारी प्राप्त की एवं नकल हेतु आवेदन पेश किया । तत्पश्चात् कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 से 10 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । आराजी खसरा नंबर 421 व 422 बाबत् पक्षकारान के मध्य वाद संख्या 11/2017 वास्ते बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन के समक्ष विचाराधीन है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 मगनाराम पुत्र मिश्री की ओर से दिनांक 19.5.2017 को श्री मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है । उक्त वादपत्र की आदेशिका दिनांक 19.5.2017 में पत्रावली कैम्प कोर्ट में पेश होने बाबत् अंकन नहीं है । उक्त वादपत्र के संलग्न अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र संख्या 12/2017 प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 25.1.2017 को उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा मौके पर रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जो मूल वाद में दिनांक 10.7.2017 को प्राथमिक आज्ञाप्ति जारी करने तक लगातार प्रभाव में रही है। जिससे दिनांक 19.5.2017 को मगनाराम वर्तमान अपीलांट के अभिभाषक को स्थगन आदेश बाबत् पूर्ण जानकारी हो चुकी थी जिसकी पालना में रिकार्ड तथा मौके पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन दिनांक 25.1.2017 से 10.7.2017 के मध्य कतई संभव नहीं था । विद्वान वकील अपीलाट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 बदाम देवी पत्नि हरचंद की खातेदारी की आराजियात खाता संख्या पुराने 160 नये

122 खसरा नंबर 423 के लगते हुए अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 11 की खातेदारी की आराजियात खसरा नंबर 421 व 422 अवस्थित है । रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 423 जो कि खसरा नंबर 421 के लगते हुए उत्तर दिशा में तथा खसरा नंबर 422 के लगते हुए पूर्व दिशा में अवस्थित है एवं खसरा नंबर 421 तथा 422 के दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य मार्ग आम रास्ता अवस्थित है । उक्त मुख्य मार्ग से खसरा नंबर 421 की पश्चिम मेड़ के सहारे खसरा नंबर 423 तक वैकल्पिक मार्ग अवस्थित है । लेकिन रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 11 को अप्रार्थीगण मुर्तिब करते हुए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 को वैकल्पिक माग्र खसरा नंबर 421 के बजाय खसरा नंबर 422 में से खसरा नंबर 422 की पूर्वी मेड़ के सहारे 15 फुट चौड़ा मार्ग उपलब्ध करवाया जावे जबकि अधिवक्ता श्री मदनपुरी गोस्वामी द्वारा पक्षकारान के मध्य विचाराधीन वाद संख्या 11/2007 में वर्तमान अपीलांट मगनाराम की ओर से अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था एवं उक्त वाद भी खसरा नंबर 421 व 422 बाबत् अन्य आराजियात के साथ प्रस्तुत किया गया था जिससे वाद संख्या 11/2017 के संलग्न प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना में पारित अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अभिभाषक को पूर्ण जानकारी थी इसके बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो प्रथमदृष्टया त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त योग्य था । अधी0न्याया0 ने स्थगन आदेश होने के बावजूद रिकार्ड में परिवर्तन करने बाबत् प्रार्थना पत्र धारा 251–ए स्वीकार करने में विधिक त्रुटि कारित की है । स्थगन आदेश के मौजूद रहते रिकार्ड एवं मौके की स्थिति बाबत् किसी अन्य प्रार्थना पत्र में आदेश पारित नहीं किया जा सकता था । बहस में यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 11 श्रीमती देबी पुत्री मिश्री पत्नि रामनिवास जाट, निवासी जोजासणी तह0 रियांबड़ी जिला नागौर के नोटिस पीसांगन के पते जारी किये गये थे जिसे अधी0न्याया0 ने तामील मानकर रेस्पो0 संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । तहसीलदार द्वारा दिनांक 29.11.2016 को रिपोर्ट पेश की गई जिसके पैरा संख्या 4 के अनुसार चाहे गये नवीन रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्थ्ज्ञा उपलब्ध होना अंकित किया है। जब वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है तो धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत नया रास्ता कतई प्रदान नहीं किया जा सकता है अधी0न्याया0 ने इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 स्वीकार कर अपील मे हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांट का मुख्य कथन रहा है कि अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को विधिवत्

नोटिस तामील नहीं करवाये एवं न ही सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर ही प्रदान किया गया है । इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण को दिनांक 19.5.2017 को न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट में रखकर निर्णित किया है । अप्रार्थीगण के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर दिनांक 19.5.2017 को ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत् नोटिस तामील करवाया जाना जाहिर नहीं होता है एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना भी प्रतीत नहीं होता है । बिना नोटिस जारी किये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित निर्णय को विधिसंगत नहीं माना जा सकता है । नैसर्गिक न्याय के सिद्धातों की पालना करना न्याय का सुस्थापित सिद्धांत है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. उक्त परिप्रेक्ष्य में अधी0न्याया0 के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाई

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.5.2017 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे अपीलांट एवं अन्य प्रभावित पक्षकारों को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 29.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर